न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2021	23.11.2021	12.04.2023

/ / उनवान / /

1 मातादीन पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1 वेदप्रकाश पुत्र श्री शुभराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 अनिल कुमार पुत्र शुभराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थितिः– श्री अनिल यादव – वकील प्रार्थी
श्री महेश यादव – वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 12.04.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि खसरा नम्बर 1/0.91 है0 वाके ग्राम बृसंगवास तह0 मुण्डावर में स्थित होकर प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा ख0न0 6/0.33, 7/0.34 है0 वाके ग्राम बृसंगवास तह0 मुण्डावर में स्थित होकर अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो मिन प्रार्थी की आराजी से लगती हुई है। अप्रार्थीगण की आ0ख0न0 7 जागीवाडा से बृसंगवास ग्रेवल सड़क से लगती हुई है तथा मिन प्रार्थी अपनी आराजी में अप्रार्थीगण की आराजी उक्त खसरा न0 6, 7 की पश्चिमी डोल के साथ साथ बने रास्ते से आता जाता रहा हुँ तथा अपनी आराजी में जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं नजदीकी रास्ता नहीं है लेकिन अब अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को उक्त रास्ते के आवागमन में बाधा पहुचाने लगे है तथा टैक्टर व पशुओं को लाने लेजाने में रूकावट की जा रही है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुंकि प्रार्थी के अधिकार कानुन द्वारा सुरक्षित है और अप्रार्थीगण की ख0न0 7 में से पश्चिमी डोल के साथ–साथ उतर से दक्षिण की ओर एवं ख0न0 6 की उतरी पश्चिमी कोने में 12 फुट चौडाई एवं कुल दोनो खसरों सहित करीब 400 फुट [illegible] रास्ता कीमत की राशी पर दिलाये जाने के आदेश फरमाये आदि–आदि अंकित करते हु[illegible] बाजार मुल्य की दुगनी कीमत की राशी पर दिलाये जाने तथा [illegible] एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्शाया जाने के आदेश दिये जावे का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थीगण [illegible] अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका सारतः रहा कि यह कहना गलत है कि ख0न0 7 जागीवाडा से बृसंगवास ग्रेवल

[illegible] से [illegible] हो बल्कि जागीवाडा से बृसगवास की कोई ग्रेवल सडक नहीं है ना ही राजस्व रिकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज है। प्रार्थी का ख0न0 6. 7 से कभी आवागमन नहीं रहा है। प्रार्थी के ख0न0 [illegible] आवागमन के अन्य चारों तरफ और रास्ते है जो आज भी सुचारू रूप से चालू है। आराजी ख0न0 6 [illegible] ग्राम जागीवाडा व बृसंगवास की सीमा पर है तथा प्रार्थी ग्राम बृसगवास का रहना है। जिन्हे [illegible] तक आने जाने के लिए ग्राम बृसंगवास की ओर से आने वाले रास्ते से रास्ता लिया जाना चाहिये। प्रार्थी आराजी ख0न0 6.7 मे से कोई भी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण को जबरन तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है आदि–आदि अंकित करते हुए अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी ने उसने प्रार्थना पत्र मे कंही भी यह अंकित नहीं किया कि आराजी ख0न0 6, 7 में आने जाने के लिए कौनसा ख0 न0 का रास्ता है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथाकथित ग्रेवल सडक का ख0न0 क्या है, कौनसे गांव के राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जब प्रार्थीगण स्वयं का ख0न0 6, 7 में आने जाने का कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो प्रार्थी कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है आदि–आदि अंकित करतें हुए मिन अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे का निवेदन रहा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाबत तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जरिये पंत्राक 226 दिनांक 13.01.2023 मौका रिपोर्ट पेश होकर शामिल पत्रावली हुई जिसके मुताबिक अनुवानी प्रकरण में पटवारी हल्का बल्लूवास एवं उलाहेडी एवं भू0अ0नि0 उलाहेडी के साथ स्वयं द्वारा मौका देखा गया मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

1. प्रार्थी का ख0न0 1/0.91, 2/0.01 है0 वाके ग्राम बृसंगवास में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त ख0न0 1 व 2 में जाने हेतु ख0न0 7 में रास्ता चाहा गया है।
3. प्रार्थी द्वारा ख0न0 7 को ग्रेवल सड़क से लगता हुआ बताया गया है। मौके पर ख0न0 7 व 9 ग्रेवल सड़क से लगते हुए है व उक्त ग्रेवल सड़क राजस्व रिकार्ड में सड़क/रास्तें के रूप में दर्ज नहीं है। उक्त सड़क खातेदारों की खातेदारी भूमि ग्राम जागीवाड़ा व ग्राम बृसंगवास के खातेदारों की भूमि में से जा रही है।
4. मौके पर उपस्थित ख0न0 7 के खातेदार द्वारा अपने मृत पिता की मुर्ति लगाने हेतु प्रस्तावित भूमि ख0न0 7 के उतरी पूर्वी कोने को सैनिक कल्याण बोर्ड को दान दिये जाने बाबत अवगत करवाया गया। खातेदार द्वारा मौके पर उक्त संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवे गये।
5. प्रार्थी द्वारा ख0न0 7 में पूर्व से पश्चिम व उतर से दक्षिण रास्ता [illegible] लाल स्याही से दर्शाया गया है यदि उक्त रास्ता दिया जाता है तो एक ही काश्तकार की अ[illegible] भूमि का नुकसान होगा।
6. यदि प्रार्थी को ख0न0 9 में उतर से दक्षिण एवं ख0न0 6, 7 में पूर्व से पश्चिम में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी का अपने खेत पर जाने का रास्ता हो जायेगा, जो नजरी नक्शे में हरी [illegible] से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:04 IST
Reason: SelfAttested

7. ख0न0 9 वाके ग्राम बृसंगवास में तोता पुत्र बुधा हिस्सा 1/2 एवं रामसिंह पुत्र बुधा हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन बृसंगवास के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान मे ख0न0 9 में श्रीमान आर.ए.ए. अलवर का स्थगन आदेश प्रभावी है। अतः न्यायालय का स्थगन हटने के बाद ख0न0 9, 7, 6, 8 में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है जो हल्का पटवारियान भू0अ0नि0 की रिपोर्ट सहित मयसंलग्न नजरी नक्शा प्राप्त होकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली है।

वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के जिमनों का दोहराते हुए रास्ते में उपयोग आने वाले रकबे को बाजार मूल्य की दोगुनी राशी पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया एवं इसी अनुसार वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्रों के जिमनों का अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र के बाबत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के जिमनों को अभिकथित करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर की गहनता से अवलोकन के उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीाकर योग्य पाये जाने की स्थिती में उक्त रास्ता चाहे जाने के बाबत के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक **12.04.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

12-04-2023

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर)

(पंकज बडगूजर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:04 IST
Reason: SelfAttested